

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डरू बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किरम मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 18/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम व
जारी हुये

13.04.2023

वकील डिक्रीदार श्री रामजीलाल मिश्रा एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 11.04.2023 को पेश हो।

17.03.2025

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन ^{डिक्री सिट} राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में नक्शों में तरमीम कर दुरुस्ती कर दी गई है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ऑनलाईन राजस्व
रिकार्ड का अवलोकन
करने पर पाया गया
कि नक्शों में तरमीम
दुरुस्ती कर दी गई है।

पटवारी

